कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिरिवा/प्रारं/नियुक्ति प्रकोष्ठ/नियु-2/982/टीजीटी 2017/17-18 दिनांक 28.02.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त जिला परिषद्

MOST URGENT

विषयः- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयुपर द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या 2902/18 मंजू कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 23.02.2018 की पालना सुनिश्चित करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयुपर द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या 2902/18 मंजू कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 23.02.2018 की प्रति संलग्न कर लेख है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.18 में दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में निम्नानुसार सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करावेः-

1. दस्तावेज सत्यापन उपरान्त जिन अभ्यार्थियों के दस्तावेज शाला दर्शन पोर्टल पर अपलोड करवाये जा चुके है, उनकी समस्त पात्रताओं की जांच करते हुये, पात्र अभ्यार्थियों की राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5)/शिक्षा-1/प्राशि/2003/पार्ट-1 दिनांक 20.02.2018 द्वारा जारी कलेन्डर के अनुसार काउसलिंग /पदस्थापन की कार्यवाही संपादित करावे।(प्रति संलग्न है)
2. दस्तावेज सत्यापन पश्चात् विभिन्न कारणों(एमबीसी, ओबीसी प्रमाण पत्र, अन्य राज्यों की डिग्री) से लंबित रखे गये प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कर उनकी पात्रता/अपात्रता का निर्णय कर इस कार्यालय को नामवार सूची प्रेषित करें।
3. जिन अभ्यार्थियो द्वारा अतिरिक्त विषय (Additional Subject) की योग्यता प्रस्तुत की है व पात्र पाये गये है, अतिरिक्त विषय के संबंध में माननीय न्यायालय में याचिका संख्या 19113/17 व अन्य विचाराधीन जिसकी आगामी पेशी दिनांक 15.03.18 नियत है। अतः अतिरिक्त विषय वाले पात्र आशार्थियो को दिनांक 07.व 08 मार्च 2018 को आयोजित काउसलिंग में सम्मिलित नहीं करना है।
4. दस्तावेज सत्यापन एवं काउसलिंग हेतु लगाये गये समस्त अधिकारियों की नामवार/पदवार सूची इस कार्यालय को उपलब्ध करावे, ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में उनके नाम विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जा सके एवं माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सके।
5. किसी भी अपात्र अभ्यर्थी को काउंसलिंग/नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावे, अपात्र अभ्यार्थी को नियुक्ति प्रदान करने की स्थिति में आपके विरूद्ध आपराधिक/कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जावेगी।
6. शाला दर्शन पोर्टल पर पात्र अभ्यार्थियो की सूची अनुसार उनके दस्तावेज अपलोड करवाये जा चुके है। अतः इन अभ्यार्थियो के रीट/आरटेट के प्राप्ताकों का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की वेबसाइट से ऑन-लाईन मिलान/सत्यापन पश्चात् ही काउसलिंग की कार्यवाही करवाई जावे तथा जिन अभ्यार्थियो के रीट/आरटेट के अंको में बोर्ड की वेबसाईट से मिलान करने पर अन्तर आता है, उन्हें काउसलिंग प्रक्रिया में शामिल नही किया जावे, तथा ऐसे अभ्यार्थियो की नामवार सूची इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.18 में दिये गये निर्देशो की पालना नही होने अथवा अवहेलना पाये जाने पर आप व्यक्तिशः जिम्मेवार रहेंगे।

संलग्नः-उपर्युक्तानुसार

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नाकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रति प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि शिक्षक भर्ती 2016 (संशोधित) के संबंध में शाला दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध सूची अनुसार इनमें से पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु आवश्यक कार्यवाही संपादित करावें।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार

प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 2(5)/शि–1/प्राशि/2003/पार्ट–1 जयपुर दिनांकः 20/02/2018

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

विषय : राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के माध्यम से शिक्षक लेवल – I। (NON TSP AREA) के नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) के कलैंडर में सशोधन के संबंध में।

प्रसंगः निदेशक, प्रा0शि0 बीकानेर के पत्रांकः शिविरा–प्रारं/नियुप्रको/नियु–2/982/टीजीटी 2016/लेवल–2/2016–17 दिनांक 19.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 में शिक्षक लेवल–I। गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP AREA) में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु समसंख्यक पत्र दिनांक 02.02.2018 द्वारा जारी कलैण्डर में दिनांक 20.02.2018 के बाद की जाने वाली प्रकिया हेतु तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क.सं.	विवरण	प्रस्तावित संशोधित दिनांक
1	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाना।	05.03.2018
2	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कैंपों (परामर्श शिविर) का आयोजन।	7 व 8 मार्च, 2018
3	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना	15.03.2018

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

20/2/18

(घनश्याम लाल शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. संबंधित जिला कलेक्टर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा– संबंधित।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा– संबंधित।
10. विकास अधिकारी, सम्बन्धित पंचायत समिति।
11. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी